

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक : प.1(ग)( )का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./18/18124

दिनांक : 9/1/18

-: आदेश :-


राजस्थान नगर पालिका (अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम 1963 के नियम 22 (1)के प्रावधानों के अन्तर्गत फायरमैन के रिक्त पदों पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में नियुक्ति दिये जाने की एतद् द्वारा निर्देशानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. स.	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	गृह जिला	जन्म दिनांक	वर्ग	पदस्थापित निकाय का नाम
1	41631183218	श्री उमेश कुमार शर्मा	कोटा	13.09.1988	GEN	देवली
2	21742187379	श्री कुन्दन कुमार	झुन्झुनु	19.10.1995	OBC	चिडावा
3	41836197568	श्री ताराचन्द माली	सीकर	02.10.1994	OBC	चिडावा
4	41630183581	श्री करण कुमार	कोटा	07.01.1982	SC	निम्बाहेडा
5	21933198825	श्री महेन्द्र कुमार	दौसा	22.10.1991	SC	धोलपुर
6	41001127849	श्री अगिल रजक	वित्तौड़गढ	26.09.1990	SC	उदयपुर
7	41419170957	श्री मोहन राग	जोधपुर	10.07.1994	ST	पिपाडशिटी
8	21629180142	श्री मयंक मेहरा	कोटा	10.07.1990	SC	रायसिंहनगर
9	41135198035	श्री अगिता पालीवाल	सीकर	02.10.1987	SC	श्रीगंगानगर
10	41738194094	श्री प्रदीप कुमार सुथार	उदयपुर	30.12.1987	OBC	प्रतापगढ
11	41744190879	श्री मुकेश कुमार सुथार	उदयपुर	14.06.1985	OBC	राजसगन्द
12	41742192367	श्री लोकेश गीणा	डुंगरपुर	11.03.1998	ST	बोंसवाडा
13	41744190828	श्री दिनेश चन्द रोट	डुंगरपुर	07.03.1991	ST	राजसगन्द

- अभ्यर्थियों की पात्रता एवं न्यूनतम छः माह की अवधि के लिये आयोजित बैसिक एलिमेन्ट्री फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स उतीर्ण सम्बन्धि प्राथमिक जांच विभाग द्वारा की जा चुकी है, किन्तु अभ्यर्थी की पात्रता एवं न्यूनतम छः माह की अवधि के लिये आयोजित बैसिक एलिमेन्ट्री फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स उतीर्ण सम्बन्धि जांच एवं पगाण पत्र जारी करने वाली संस्था के रजिस्ट्रेशन एवं मान्यता सम्बन्धि जांच संबंधित निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशायी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर की जाकर ही नियुक्ति आदेश जारी करावे। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त ही फिक्स वेतन नियमानुसार देय होगा।
- यह चयनित अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के अध्यक्षीन रहेगी। किसी अभ्यर्थी का चयन गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर हो गया हो तो उक्त नियुक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश एवं सेवाएँ तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- फायरमैन पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन करवाने के बाद ही नियुक्ति दी जावे।
- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सरकारी चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य प्रगाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।


05. उपरोक्त कार्मिकों को वित्त विभाग के आदेश संख्या: एफ.12(2)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 20.04.2006 मे वर्णितानुसार निर्धारित समयावधि तक फिक्स रेम्यूनरेशन देय होगा।
06. यह आदेश आयोग के सम्बन्धित रिकार्ड एवं चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों व अन्य शर्तों के आधार पर यदि सहवन या अन्य कारण से हुई त्रुटि को संशोधित किये जाने के अध्यक्षीन रहेगा।
07. उपरोक्त पदों को भरे जाने के कारण होने वाला वित्तीय भार नगर निकायों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन पदों के लिए अलग से कोई अनुदान देय नहीं होगा।
08. नगर निकायों को आवंटित चयनित फायरमैन इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में आवंटित नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज सहित लिखित आवेदन के साथ उपस्थित होंगे जिसको संबंधित निकाय द्वारा रिकार्ड पर लिया जावेगा। इस अवधि के पश्चात इस आदेश के अन्तर्गत फायरमैन पद हेतु चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होंगे और नियुक्ति का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।
09. उक्त नियुक्ति कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेगी।

अतः इन्हे नियत समयावधि में नियमानुसार ड्यूटी ज्वार्इन करवाई जाकर पालना रिपोर्ट विभाग को भिजवाये।

  
 (पवन अरोड़ा)  
 निदेशक एवं संयुक्त  
 शासन सचिव  
 दिनांक : 9/1/18

क्रमांक : प.1(ग) ( )का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./18/18125-189  
 प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निगम/परिषद/पालिका को प्रेषित कर लेख है कि नियुक्ति सम्बन्धि कार्यवाही तत्काल सम्पादित करते हुए नियुक्ति आदेश की प्रति विभाग को आवश्यक रूप से भिजवायें। यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश पात्र नहीं पाया जाता है तो तत्काल विभाग को लौटाते हुए कारण सहित अवगत करावें।
04. सगरमा उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
05. अध्यक्ष/सचिव, राज्य स्तरीय राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) आयोग, राज. जयपुर।
06. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट व सीएमएआर की वेबसाईट पर अपलोड करे।
07. कार्यालय अधीक्षक, निदेशालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित है।
08. संबंधित कर्मचारी.....।
09. सुरक्षित पत्रावली।

  
 (डॉ वीरेन्द्र सिंह)  
 उप निदेशक (प्रशासन)